

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

रीडर/2024/6905  
प्रार्थीगण

1 सुखाराम 2 मांगीलाल 3  
प्रभुराम 4 झमू देवी पिसरान  
तिलाराम 5 नैनू देवी पत्नी  
तिलाराम जाति मेघवाल  
निवासी दरुड़ा तहसील व  
जिला बाड़मेर।

बनाम

1 टीकमाराम 2 शंकराराम पिसरान बंशाराम 3  
बबरी पत्नी बंशाराम 4 राणाराम पुत्र खीयाराम 5  
रुगाराम पुत्र राजाराम 6 उम्मेदाराम पुत्र  
लक्ष्मणाराम 7 लूंगो पत्नी लक्ष्मणाराम 8 चेलाराम  
पुत्र रामजीराम 9 बाबुलाल 10 कलाराम 11  
हीराराम पिसरान हिन्दुराम 12 केसी पत्नी हिन्दुराम  
13 सिरदाराराम 14 जुगताराम पिसरान सामली 15  
चैनाराम पुत्र रावताराम 16 आम्बु देवी पत्नी  
रावताराम 17 गैनाराम 18 सवाईराम पिसरान  
वीरमाराम 19 दीपों पत्नी वीरमाराम जाति रबारी  
निवासी दरुड़ा (मारुड़ी) तहसील व जिला  
बाड़मेर। 20 सरपंच जरिये ग्राम पंचायत मारुड़ी।

दिनांक - 26.12.2024

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-497/2024

दिनांक-26/12/24

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा दरुड़ा पटवार हल्का मारुड़ी तहसील व जिला बाड़मेर के  
खसरा संख्या 309 रकबा 0.0405 हैक्टेयर व खसरा संख्या 310 रकबा 9.8419 हैक्टेयर भूमि के  
चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर  
नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को  
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर  
सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के  
मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/-  
अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा  
किया जावेगा।



( वीरमा राम )

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

दिनांक- 26.12.2024

क्रमांक :- रीडर/2024/ 6906 - 6909

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मारुड़ी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित  
रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण सुखाराम पुत्र तिलाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी दरुड़ा, तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण टीकमाराम पुत्र बंशाराम वगैराह जाति रबारी निवासी दरुड़ा (मारुड़ी) तहसील व जिला  
बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर